

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

क्रमांक :- स्टोर / रा.उ.न्या.पी. / 2025-26 / 2339

दिनांक :- 07.05.25

सीमित निविदा सूचना

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा Sanitary Napkin Vanding Machines खरीदने हेतु लघु उद्योग इकाईयों/थोक विक्रेताओं/उत्पादकों/विनिर्माताओं, मूल उपकरण विनिर्माताओं, एकमात्र वितरकों/एकमात्र विक्रेता/विपणन एजेंट/उप-वितरकों, प्राधिकृत डीलरों, विनिर्माताओं की खुदरा बिक्री की दुकानों/प्राधिकृत स्टॉकिस्टों, ज्ञात विश्वसनीयता प्राप्त खुदरा विक्रेताओं से सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्रम सं.	नाम वस्तु मय विवरण	मात्रा
1	Sanitary Napkin Vanding Machines (As per office sample)	38

इच्छुक निविदा-दाता अपनी दरें स्वयं के लैटर पैड पर दिनांक 14.05.2025 को प्रातः 11.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करें।


रजिस्ट्रार (प्रशासन)

क्रमांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक :-

01. नोटिस बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर।


रजिस्ट्रार (प्रशासन)

सीमित निविदा हेतु शर्तें

निविदा-दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुये प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें।

1. निविदाएं मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी है।
2. निविदा प्रपत्र स्याही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिये तथा दरें शब्दों एवं अंको, दोनों में बिना कांट-छांट स्पष्ट रूप में अंकित की जानी चाहिए। शब्दों एवं अंको में राशि में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि सही मानी जावेगी।
3. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर तक एफ.ओ.आर. उद्दृत की जानी चाहिए। जिसमें सभी कर एवं लागते समाहित होनी चाहिये।
4. निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों के आईटम्स की सप्लाय के कार्य को अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेंगा। (सबलेट नहीं करेगा)
5. निविदा में मांगी गयी सामग्री का पूर्ण विवरण देना होगा।
6. यदि माल की आपूर्ति क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी निविदा/संविदा को किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
7. क्रयादेश जारी किये जाने के बाद माल की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में की जानी होगी।
8. यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
9. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
10. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी।
11. क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर शास्ति (लिव्डीडिट डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी:-

i. विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश की राशि का 2.5 प्रतिशत।

ii. विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का पाँच प्रतिशत।

iii. विदित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश का साढ़े सात प्रतिशत।

iv. विदित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का दस प्रतिशत।

13. प्रावधान में विलम्ब की अवधि की गणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं शास्ति की अधिकतम राशि दस प्रतिशत होगी।
14. क्रय समिति को निविदा वस्तुओं की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णित करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति नियमानुसार निविदादाताओं को निगोसियेशन के लिये आमंत्रित कर

सकती है। इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा सामग्री वांछित गुणवत्ता की न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

15. क्रय समिति को पूर्ण अथवा आंशिक निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. क्रय समिति आवश्यकतानुसार क्रय कर सकती है। जिन फर्मों की निविदा स्वीकार की जाएगी, उन्हें मांग के अनुसार आईटम्स की सप्लाई कार्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर करनी होगी। माल की सप्लाई आदेशानुसार या समय पर नहीं होने पर फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा कार्यालय को होने वाली वित्तीय क्षति का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।
17. सभी Items की दरें उचित मानक इकाई में 'कोट' की जानी चाहिए यथा प्रति पैकेट, प्रति नग प्रति हजार आदि।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में रजिस्ट्रार (प्रशासन) का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
19. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
20. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्त एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम में उल्लेखित प्रावधान यथा स्थान लागू रहेंगे।
21. निविदा में दर्शायी गयी सामग्री की मात्रा सांकेतिक है, वास्तविक क्रय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। दर्शायी गयी अनुमानित मात्रा से अधिक/कम क्रय किया जा सकेगा। अनुमोदित सभी आईटम्स की अनुमानित मात्रा को क्रय किये जाने हेतु क्रेता अधिकारी बाध्य नहीं होगा।